

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, जिला सर्वाई माधोपुर  
 पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा-2025 शिविर- 24/11/25

प्रकरण संख्या- 50/2025

दिनांक- 25/11/2025

श्री मेवा पुत्र कल्याण  
 गुर्जर निवेदानी मानपुर,  
 बलरिया

सुनवान

बनाम सरकार जिरिये तहसीलदार  
 चौथ का बरवाड़ा, जिला सर्वाई



:: आदेश ::

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का 24/11/25 मू. अ. नि. 41/25 एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट/अनुशंखा अनुसार राजस्थान मू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम 21/11/25 40 हठ 24/11/25 की वर्तमान स्थायी जमाबन्दी के खाता संख्या 91 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।
1.	बीक के नाम में अशुद्ध	स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर ए.डी. मानपुर 21/11/25 चौथ का बरवाड़ा	स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया 21/11/25 चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी  
 चौथ का बरवाड़ा (सं० मा०)

प्रतिनिधी :-

1. तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा जिला सर्वाई माधोपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करें।
2. प्रार्थी श्री मेवा पुत्र कल्याण गुर्जर निवेदानी सं 50/2025, बलरिया।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी  
 चौथ का बरवाड़ा (सं० मा०)